मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू. पी. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कार्मिक अनुभाग, लखनऊ व अन्य

बनाम

संतोष कुमार

(सिविल अपील संख्या- 7756/2011)

08 सितंबर, 2011

[डॉ. मुकुंदकम शर्मा और अनिल आर. दवे, न्यायाधीशगण]

सेवा विधि - सेवा समाप्ति - प्रतिवादी एक चपरासी के रूप में अनुबंध के आधार पर काम कर रहा था - अपीलकर्ता द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी गई - प्रतिवादी ने सेवा समाप्ति आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना करते हुए रिट याचिका दायर की - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया - उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील, खंडपीठ ने अपील स्वीकार कर ली लेकिन ऐसा करते हुए, उसने सेवा समाप्ति आदेश पर रोक लगा दी और विशेष रूप से यह भी आदेश दिया कि प्रतिवादी को काम जारी रखने की अनुमति दी जाए - अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय की खंडपीठ को अपील स्वीकार करते समय, अंतरिम चरण में भी अपील की अनुमति देने के लिए कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए था - खंडपीठ द्वारा पारित आदेश अवैध, बिना अधिकार क्षेत्र के और बिना किसी सोच विचार के पारित किया गया था - मामला वापस उच्च न्यायालय की खंडपीठ को भेज दिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7756/2011

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, के विशेष अपील संख्या 1066/2004 में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.08.2010 से।

आर.डी.उपाध्याय, डॉ. मदन शर्मा, जे.पी.त्रिपाठी, आशय उपाध्याय- अपीलकर्ताओं की ओर से

ए.एस. पुंडीर, अनुराग तिवारी, अमरदीप ढाका, इरशाद अहमद- प्रतिवादी की ओर से ।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

<u>आदेश</u>

1. अपील स्वीकार की गई।

2. हमने इस अपील में पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है जिन्होंने हमें अभिलेख का अवलोकन कराया। प्रतिवादी को 1.4.2003 को 2,500/- रुपये के एकमुश्त वेतन पर चपरासी के रूप में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, 26.6.2004 को प्रतिवादी के विरुद्ध एक आदेश पारित किया गया। उपरोक्त आदेश द्वारा प्रतिवादी की संविदा सेवा दिनांक 5.7.2004 से समाप्त कर दी गयी।

3. प्रतिवादी ने सेवा समाप्ति के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसे 28789/2004 के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्रतिवादी द्वारा दायर उक्त रिट याचिका में प्रतिवादी की सेवा समाप्त करने के दिनांक 26.6.2004 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। रिट याचिका पर सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने 28.7.2004 को एक आदेश पारित कर उक्त रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुबंध के आधार पर प्रतिवादी की नियुक्ति से उसे नियमित नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता है।

4. उच्च न्यायालय ने 2004 में दायर उक्त अपील में एक आदेश पारित किया जिसे विशेष अपील संख्या 1066/2004 के रूप में पंजीकृत किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश पारित होने के लगभग छह साल बाद अपील को खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया और खंडपीठ ने अपील स्वीकार करने का आदेश पारित किया। लेकिन अजीब बात यह है कि उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि अपीलकर्ता द्वारा सेवा समाप्त करने के दिनांक 26.6.2004 को पारित आदेश स्थगित रहेगा। उस आदेश में यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि प्रत्यर्थी को काम जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

5. हम यह समझने में असफल हैं कि किसी अपील को स्वीकार करते समय खंडपीठ ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकती है ताकि उस अंतरिम चरण में भी अपील को स्वीकार किया जा सके। जब वाद संस्थित किया गया और उसकी रिट याचिका खारिज कर दी गई तब प्रतिवादी काम नहीं कर रहा था। उक्त तथ्य के बावजूद खंडपीठ ने न केवल अपील दायर करने के छह साल बाद आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी, लेकिन प्रतिवादी को इस तथ्य के बावजूद काम जारी रखने की अनुमति देने का निर्देश दिया कि वह उस तारीख पर काम नहीं कर रहा था।

6. इसलिए, खंडपीठ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश अवैध है, क्षेत्राधिकार के बिना और बिना सोच विचार के पारित किया गया था। हम उक्त आदेश को रद्द करते है और अपील को यथासंभव शीघ्र निस्तारण के लिए मामले को उच्च न्यायालय की खंडपीठ को वापस भेजते है। खंडपीठ द्वारा दिनांकित 26.6.2004 आदेश पर रोक लगाने और अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी को नियमित रूप से काम पर रखने की अनुमति देने का निर्देश देने वाला दिनांकित 9.8.2010 आदेश रद्द कर दिया जाता है और अपील के निस्तारण तक किसी भी तरह से काम लिए जाने से मना किया जाता है।

7. उपरोक्त आदेश के अनुसार उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

बी.बी.बी.

अपील स्वीकार की गई ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक विनोद कुमार उज्जैनिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।